दिनांक 23.03.2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता अभियान पर आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
3. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग,
4. सचिव, जल संसाधन विभाग,
5. श्री चंचल कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव
6. श्री अतिश चंद्रा, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव।

1. 26 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्वच्छ गंगा विषय पर आयोजित बैठक हेतु विभिन्न पहलुओं पर सघन चर्चा की गयी। विमर्शोपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये :–

(i) मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा इस विषय पर गठित High Level Task Force की बैठक में पिछले माह उन्होंने भाग लिया था। उस बैठक की कार्यवाही का अध्ययन किया गया एवं उसकी निरंतरता में विभागवार निम्नवत अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया :–

(क) नगर विकास एवं आवास विभाग :–

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा NGRBA/नमामी गंगे का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उसका तेजी से कार्यान्व्यन किया जाय एवं वर्तमान परिवेश में भारत सरकार को निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया जाय :–

(i) STP एवं सिवरेज नेटवर्क की समेकित मंजूरी।
(ii) पूर्व से स्वीकृत योजनाओं में अवशेष निधि की विमुक्ति एवं लंबित योजनाओं की स्वीकृति।
(iii) स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु व्यवस्था स्थापित करना।
(iv) निविदित राशि पर भारत सरकार के केन्द्रांश विमुक्ति।
(v) स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालयों के लिए 4000/–रूपये (चार हजार रूपये) की सहायता राशि को बढ़ाकर 6000/–रूपये (छः हजार रूपये) करना।
(vi) गंगा की सहायक नदियों पर भी विकास के समरूप कार्य लेने की व्यवस्था।
(vii) साथ ही सभी 133 शहरी निकायों से गंगा में मिलने वाले नक्से की GIS में प्रविष्टि रखते हुए सूचना तथा Green Tribunal के अनुपालन हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजी जाय।

(ख) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :–

(i) गंगा के किनारे अवस्थित सभी बसाबटों में सम्पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी घरों में शौचालय का निर्माण।

(ii) विद्यालय एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय के निर्माण की व्यवस्था हेतु कार्य योजना बनाना एवं समयसीमा के अंदर उपलब्धि सुनिश्चित करना।

(ग) **पर्यावरण एवं वन विभाग** :–

(i) औद्योगिक इकाइयों से नदी में आने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए Effluent Treatment Plant एवं CEPT की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(ii) डॉल्फिन संरक्षण के लिए की गयी कार्रवाई एवं उससे संबंधित विषयों को समावेशित करना।

(iii) गंगा नदी का ड्रेनेज मैप यथोचित सूचनाओं के साथ प्रेषित करना।

इस क्रम में BIADA से उचित सहयोग प्राप्त किया जाय।

(घ) **जल संसाधन विभाग** :–

(i) गंगा की अविरलता बनाये रखने के लिए अवधारणा टिप्पणी।

(ii) Silt Management Policy.

(iii) गंगा में जमा सील्ट की खुदाई करके पानी की गहराई बढ़ाने हेतु प्रस्ताव।

2. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि NGRBA की पूर्व में हुई बैठकों की कार्यवाही संकलित की जाय।

3. यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विभाग इनसे संबंधित मुद्दों पर हिन्दी एवं अँग्रेजी में बिन्दुवार विवरण दिनांक 24.03.2015 के प्रातः 11:00 बजे तक श्री अतिश चंद्रा, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को भेजना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक 31NGRBA-06-26/2014-1864/न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक 31/3/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग/सचिव, जल संसाधन विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना